"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2003—श्रावण 4, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/58/2003/वाक/पांच (70).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को 1-8-2003 से 31-3-2004 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अधीन अधिभार के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का विवरण (2)
1.	पका अन्न

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-10/58/2003/वाक/पांच (70).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/58/2003/वाक/पांच (70), दिनांक 26-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 26th July 2003

NOTIFICATION

No. F-10/58/2003/CT/V (70).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of surcharge under Section 10-A of the said Act for the period from 1-8-2003 to 31-3-2004 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of Goods (2)
1.	Cooked food

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.